<u>प्रेस नोट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर दिनांक 27.03.2023</u>

धोखाधड़ी कर अवैध तरीके से नकली सोना (पीली धातु) को क्रय विक्रय करने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार, 12.5 कि0ग्रा0 पीली धातु बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा "अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी" के संबंध में चलाये जा रहे अभियान व धोखाधड़ी की घटनाओ के खुलासे हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष राजघाट राजेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 116/23 धारा 420,467,468 भादवि व 63/65 कॉपीराइट एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त अमर जौहरी पुत्र मुकुन्द चन्द वर्मा निवासी दोहरीघाट थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया व 12.5 कि0ग्रा0 पीली धातु बरामद की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

<u>विवरण-</u> आज दिनांक 27.03.2023 को वादी द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर प्राप्त हुई की अमर जौहरी पुत्र मुकुन्द चन्द वर्मा द्वारा फर्जी HALLMARK और फर्जी HallMark Unique Indentification की मोहर लगाकर सोने की फर्जी आभूषण तैयार कर देहात क्षेत्र के छोटे-छोटे व्यपारियों को बेचे जा रहे थे, जिससे सराफा व्यपारियों की छवि धूमिल हो रही थी। तहरीर प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 116/23 धारा 420,467,468 भादवि व 63/65 कॉपीराइट एक्ट पंजीकृत करते हुए अभियुक्त अमर जौहरी पुत्र मुकुन्द चन्द वर्मा निवासी दोहरीघाट थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को गिरफ्तार कर, 12.5 कि0ग्रा0 पीली धातु बरामद की गयी

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-</u>

अमर जौहरी पुत्र मुकुन्द चन्द वर्मा निवासी दोहरीघाट थाना दोहरीघाट जनपद मऊ

<u>गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-</u>

मु0अ0सं0 116/23 धारा 420,467,468 भादवि व 63/65 कॉपीराइट एक्ट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

<u>बरामदगी-</u>

12.5 कि0ग्रा0 पीली धातु